तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज शेराराम बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी औसियां) सू.अ.अ. अपील संख्या 84 / 2018	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.07.18	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी शेराराम पुत्र बीजाराम मेघवाल पता उगुणा बास, मथानिया तहसील तिवरी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 23.05.18 में उसके द्वारा (1) पूर्व में उपखण्ड अधिकारी फलौदी द्वारा जारी आदेश कमांक / राजस्व / 75 / 1078 दिनांक 10.06.1975 की प्रतिलिपि एवं सम्पूर्ण पत्रावली मय कार्यालय नोटशीट प्रतिलिपि व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को प्रेषित किया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा कोई सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी औसियां) से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी औसियां) को निर्देशित किया जाता है कि प्रार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Scanned with CamScanner